

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निरहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य विभाग, मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री बर्नवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में भारतीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर, मुरादाबाद पर बाकी की सूचना उपलब्ध न काने के सम्बन्ध में शक्तिपूर्ति ₹0-5000.00 का अर्धवृत्त दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के वेतन से उक्त शक्तिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की रकमों हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा शक्तिपूर्ति की धनराशि के जमा के सम्बन्ध उपलब्ध करार का अनुषेय किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर इटावा को अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्धवृत्त जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-08-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्धवृत्त जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाग्लज कर	शून्य

02	राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यलय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	16-07-2018	₹ 25000.00	अधिरोधित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड क डि०कमि०-को इस स्तर से पत्र सं० 1153 दि० 01-03-2023 प्रेषित किये गये है।	शून्य	अधिरोधित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इत स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्येक पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो राज्य सूचना आयोग में तन्वित है। इत कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद महोदय को पत्रांक 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ महोदय को पत्र सं० 140 दि० 09-05-2014 व पत्र सं०- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा करने हेतु प्रेषित किये गये है।	मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा० आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरोधित अर्थदण्ड रुपये. 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1886 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्रांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जावेगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।	शून्य
----	--	---	------------	------------	--	-------	---	--	-------

03	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डिप्टी (प्रशा) वा0क00 झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बाँदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवागत कराया गया है कि शिकायत अपील सं0-12482/सं0/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध भेरे द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है ।
							श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बाँदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवागत कराया गया है कि शिकायत अपील सं0-12482/सं0/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध भेरे द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है ।

(Handwritten Signature)
519615
(डाली)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।